प्रेषक,

निदेशक मत्स्य
उ0प्र0, लखनऊ।

सेवा में,

उप निदेशक मत्स्य,

सहायक निदेशक मत्स्य/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
मत्स्य पालक विकास अभिकरण

पत्रांक 2149 /नि0शा0/16–19(6)/2021–22 दिनांक– 24 दिसम्बर, 2021

विषयः वित्तीय वर्ष 2021–22 में विभागीय मत्स्य प्रक्षेत्रों के सुदृढ़ीकरण योजना हेतु आय–व्ययक प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष धनराशि रू0 7,05,750/– (रू0 सात लाख पांच हजार सात सौ पचास मात्र) की शासन द्वारा निर्गत वित्तीय स्वीकृति का बजट आवंटन ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 28/2021/1341/17–1002(002)/13/2019 दिनांक 16.12.2021, (प्रतिलिपि संलग्न) में उल्लिखित चालू वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु संचालित विभागीय मत्स्य प्रक्षेत्रों के सुदृढ़ीकरण योजना के अन्तर्गत आय–व्ययक में प्रावधानित धनराशि के सापेक्ष रू0 **7,05,750/– (रू0 सात लाख पांच हजार सात सौ पचास मात्र)** की शासन द्वारा निर्गत वित्तीय स्वीकृति एवं निदेशालय के प्रस्ताव के अनुसार संलग्न विवरण के तहत बजट आवंटित करते हुए व्यय किये जाने की अनुमति शासनादेश में दिये गये शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अन्तर्गत प्रदान की जाती है।

1. धनराशि का कोषागार से आहरण एवं व्यय तभी किया जायेगा जब यह सुनिश्चित कर लिया जाएगा कि कोविड–19 के कारण उत्पन्न प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद योजना के कार्यक्रमों का कियान्वयन/संचालन किया जाना आवश्यक एवं अपरिहार्य है।
2. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय योजना के लिए पूर्व निर्धारित दिशा–निर्देशों/गाइडलाइन्स एवं संगत नियमों के अनुसार किया जाएगा।
3. उ0प्र0 बजट मैनुअल के आठवें अध्याय के अनुलग्नक–ए के अनुसार अपेक्षित विवरण अवश्य रखा जाय/उपलब्ध कराया जाय।
4. धनराशि का आवंटन एलाटमेंट मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहं तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
5. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं मदों में किया जाएगा, जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में न ही इसका व्यय किया जाएगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका व्यावर्तन किया जाएगा।
6. कोषागार से एक मुश्त धनराशि का आहरण न किया जाए क्योंकि धनराशि के एकमुश्त आहरण से राज्य के कैश मैनेजमेन्ट पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
7. संभावित व्यय की फेजिंग, विभाग के कार्य की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार कर ली जाए। जहा तक संभव हो, व्यय की फेजिंग वित्तीय वर्ष के लिए प्रतिमाह समान रूप से की जाय।
8. योजनाओं हेतु प्राविधानित धनराशि को स्वीकृत कर पी0एल0ए0/डाकघर/बैंक में जमा नहीं किया जायेगा।
9. विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत बजट में प्रावधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित वितरण धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या–बी–1–1195/दस–16–94 दिनांक 06 जून, 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
10. व्यय प्रबंधन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर–12 में दी गयी शर्तो तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्स आफ फाईनेन्शियल प्रोपाइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।
11. वित्तीय वर्ष 2021–22 में प्रश्नगत योजना हेतु निर्गत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र समयान्तर्गत उपलब्ध कराया जाय।

प्रेषक,

निदेशक मत्स्य
उ0प्र0, लखनऊ।

सेवा में,

उप निदेशक मत्स्य,

सहायक निदेशक मत्स्य/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
मत्स्य पालक विकास अभिकरण

पत्रांक 2149 /नि0शा0/16–19(6)/2021–22 दिनांक– 24 दिसम्बर, 2021

विषयः वित्तीय वर्ष 2021–22 में विभागीय मत्स्य प्रक्षेत्रों के सुदृढ़ीकरण योजना हेतु आय–व्ययक प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष धनराशि रू0 7,05,750/– (रू0 सात लाख पांच हजार सात सौ पचास मात्र) की शासन द्वारा निर्गत वित्तीय स्वीकृति का बजट आवंटन ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 28/2021/1341/17–1002(002)/13/2019 दिनांक 16.12.2021, (प्रतिलिपि संलग्न) में उल्लिखित चालू वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु संचालित विभागीय मत्स्य प्रक्षेत्रों के सुदृढ़ीकरण योजना के अन्तर्गत आय–व्ययक में प्रावधानित धनराशि के सापेक्ष रू0 **7,05,750/– (रू0 सात लाख पांच हजार सात सौ पचास मात्र)** की शासन द्वारा निर्गत वित्तीय स्वीकृति एवं निदेशालय के प्रस्ताव के अनुसार संलग्न विवरण के तहत बजट आवंटित करते हुए व्यय किये जाने की अनुमति शासनादेश में दिये गये शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अन्तर्गत प्रदान की जाती है।

1. धनराशि का कोषागार से आहरण एवं व्यय तभी किया जायेगा जब यह सुनिश्चित कर लिया जाएगा कि कोविड–19 के कारण उत्पन्न प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद योजना के कार्यक्रमों का कियान्वयन/संचालन किया जाना आवश्यक एवं अपरिहार्य है।
2. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय योजना के लिए पूर्व निर्धारित दिशा–निर्देशों/गाइडलाइन्स एवं संगत नियमों के अनुसार किया जाएगा।
3. उ0प्र0 बजट मैनुअल के आठवें अध्याय के अनुलग्नक–ए के अनुसार अपेक्षित विवरण अवश्य रखा जाय/उपलब्ध कराया जाय।
4. धनराशि का आवंटन एलाटमेंट मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहं तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
5. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं मदों में किया जाएगा, जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में न ही इसका व्यय किया जाएगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका व्यावर्तन किया जाएगा।
6. कोषागार से एक मुश्त धनराशि का आहरण न किया जाए क्योंकि धनराशि के एकमुश्त आहरण से राज्य के कैश मैनेजमेन्ट पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
7. संभावित व्यय की फेजिंग, विभाग के कार्य की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार कर ली जाए। जहा तक संभव हो, व्यय की फेजिंग वित्तीय वर्ष के लिए प्रतिमाह समान रूप से की जाय।
8. योजनाओं हेतु प्राविधानित धनराशि को स्वीकृत कर पी0एल0ए0/डाकघर/बैंक में जमा नहीं किया जायेगा।
9. विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत बजट में प्रावधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित वितरण धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या–बी–1–1195/दस–16–94 दिनांक 06 जून, 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
10. व्यय प्रबंधन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर–12 में दी गयी शर्तो तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्स आफ फाईनेन्शियल प्रोपाइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।
11. वित्तीय वर्ष 2021–22 में प्रश्नगत योजना हेतु निर्गत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र समयान्तर्गत उपलब्ध कराया जाय।

12. जारी वित्तीय स्वीकृतियों के अन्तर्गत आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धन का आहरण विद्यमान व्यवस्था के अनुसार तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय और एक मुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय।
13. स्वीकृतियॉ जारी करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य योजना से स्वीकृत नहीं हुआ है/ हो रहा है।
14. प्रक्षेत्र संचालन हेतु निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष स्पान से फ्राई उत्पादन हेतु रू0 6500/– (मानक मदवार धनराशि) एवं फ्राई से फिंगरलिंग उत्पादन हेतु रू0 80000/– (मानक मदवार धनराशि) प्रति लाख मत्स्य बीज उत्पादन की दर से सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारियों को आवंटित है। अतएव आवंटित धनराशि का मत्स्य बीज उत्पादन के सापेक्ष निर्धारित मानकों के अनुरूप उपयोग किया जाय एवं वित्तीय वर्ष के अन्त तक उपभोग प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाय।
15. प्रक्षेत्रों पर संचित स्पान से फ्राई के सापेक्ष न्यूनतम 25 प्रतिशत एवं संचित फ्राई से फिंगरलिंग के सापेक्ष 60 प्रतिशत तक जीविता दर प्राप्त करते हुए न्यूनतम लाभ लागत अनुपात स्पान से फ्राई उत्पादन हेतु (1.50:1) एवं फ्राई से फिंगरलिंग उत्पादन हेतु (1.75:1) सुनिश्चित किया जाय।
16. उपरोक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021–22 के अनुदान सं0–17 के अधीन लेखा शीर्षक–2405–मछली पालन 101–अन्तर्देशीय मछली पालन– 04–मत्स्य विकास कार्यक्रम, 0408– विभागीय मत्स्य प्रक्षेत्रों का सुदृढ़ीकरण, 02–मजदूरी, 09–विद्युत देय, 39–औषधि तथा रसायन, 42–अन्य व्यय, 43–सामग्री एवं सम्पूर्ति के नामे डाला जायेगा।
17. उक्त बजट का आवंटन बजट रजिस्टर के पृष्ठ संख्या–(144) पर अंकित है।

भवदीया

(पूजा रमन)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
कृते निदेशक मत्स्य, उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांक– /नि0शा0/16–19(6)/2021–22 उक्त दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।
2– संबंधित जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी
3– उप सचिव, मत्स्य उत्पादन अनुभाग, उ0प्र0शासन, लखनऊ।
4– संबंधित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी..............................
5– उप निदेशक मत्स्य (नियो0), मुख्यालय।
6– गार्ड फाइल।
7– वेब आफिसर, निदेशालय को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त बजट आवंटन विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करें।

(पूजा रमन)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
कृते निदेशक मत्स्य, उ0प्र0, लखनऊ।

12. जारी वित्तीय स्वीकृतियों के अन्तर्गत आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धन का आहरण विद्यमान व्यवस्था के अनुसार तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय और एक मुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय।
13. स्वीकृतियाँ जारी करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य योजना से स्वीकृत नहीं हुआ है/ हो रहा है।
14. प्रक्षेत्र संचालन हेतु निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष स्पान से फ्राई उत्पादन हेतु रू0 6500/– (मानक मदवार धनराशि) एवं फ्राई से फिंगरलिंग उत्पादन हेतु रू0 80000/– (मानक मदवार धनराशि) प्रति लाख मत्स्य बीज उत्पादन की दर से सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारियों को आवंटित है। अतएवं आवंटित धनराशि का मत्स्य बीज उत्पादन के सापेक्ष निर्धारित मानकों के अनुरूप उपयोग किया जाय एवं वित्तीय वर्ष के अन्त तक उपभोग प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाय।
15. प्रक्षेत्रों पर संचित स्पान से फ्राई के सापेक्ष न्यूनतम 25 प्रतिशत एवं संचित फ्राई से फिंगरलिंग के सापेक्ष 60 प्रतिशत तक जीविता दर प्राप्त करते हुए न्यूनतम लाभ लागत अनुपात स्पान से फ्राई उत्पादन हेतु (1.50:1) एवं फ्राई से फिंगरलिंग उत्पादन हेतु (1.75:1) सुनिश्चित किया जाय।
16. उपरोक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021–22 के अनुदान सं0–17 के अधीन लेखा शीर्षक–2405–मछली पालन 101–अन्तर्देशीय मछली पालन– 04–मत्स्य विकास कार्यक्रम, 0408– विभागीय मत्स्य प्रक्षेत्रों का सुदृढ़ीकरण, 02–मजदूरी, 09–विद्युत देय, 39–औषधि तथा रसायन, 42–अन्य व्यय, 43–सामग्री एवं सम्पूर्ति के नामे डाला जायेगा।
17. उक्त बजट का आवंटन बजट रजिस्टर के पृष्ठ संख्या–(144) पर अंकित है।

भवदीया
(पूजा रमन)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
कृते निदेशक मत्स्य, उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांक– /नि0शा0/16–19(6)/2021–22 उक्त दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।
2– संबंधित जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी
3– उप सचिव, मत्स्य उत्पादन अनुभाग, उ0प्र0शासन, लखनऊ।
4– संबंधित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी..............................
5– उप निदेशक मत्स्य (नियो0), मुख्यालय।
6– गार्ड फाइल।
7– वेब आफिसर, निदेशालय को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त बजट आवंटन विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करें।

(पूजा रमन)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
कृते निदेशक मत्स्य, उ0प्र0, लखनऊ।

प्रेषक,

निदेशक मत्स्य
उ0प्र0, लखनऊ।

सेवा में,

उप निदेशक मत्स्य,

सहायक निदेशक मत्स्य/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
मत्स्य पालक विकास अभिकरण

पत्रांक /नि0शा0/16–19(6)/2021–22 दिनांक– 24 दिसम्बर, 2021

विषयः वित्तीय वर्ष 2021–22 में विभागीय मत्स्य प्रक्षेत्रों के सुदृढ़ीकरण योजना हेतु आय–व्ययक प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष धनराशि रू0 7,05,750/– (रू0 सात लाख पांच हजार सात सौ पचास मात्र) की शासन द्वारा निर्गत वित्तीय स्वीकृति का बजट आवंटन ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 28/2021/1341/17–1002(002)/13/2019 दिनांक 16.12.2021, (प्रतिलिपि संलग्न) में उल्लिखित चालू वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु संचालित विभागीय मत्स्य प्रक्षेत्रों के सुदृढ़ीकरण योजना के अन्तर्गत आय–व्ययक में प्रावधानित धनराशि के सापेक्ष रू0 **7,05,750/– (रू0 सात लाख पांच हजार सात सौ पचास मात्र)** की शासन द्वारा निर्गत वित्तीय स्वीकृति एवं निदेशालय के प्रस्ताव के अनुसार संलग्न विवरण के तहत बजट आवंटित करते हुए व्यय किये जाने की अनुमति शासनादेश में दिये गये शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अन्तर्गत प्रदान की जाती है।

1. धनराशि का कोषागार से आहरण एवं व्यय तभी किया जायेगा जब यह सुनिश्चित कर लिया जाएगा कि कोविड–19 के कारण उत्पन्न प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद योजना के कार्यक्रमों का कियान्वयन/संचालन किया जाना आवश्यक एवं अपरिहार्य है।
2. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय योजना के लिए पूर्व निर्धारित दिशा–निर्देशों/गाइडलाइन्स एवं संगत नियमों के अनुसार किया जाएगा।
3. उ0प्र0 बजट मैनुअल के आठवें अध्याय के अनुलग्नक–ए के अनुसार अपेक्षित विवरण अवश्य रखा जाय/उपलब्ध कराया जाय।
4. धनराशि का आवंटन एलाटमेंट मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहं तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
5. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं मदों में किया जाएगा, जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में न ही इसका व्यय किया जाएगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका व्यावर्तन किया जाएगा।
6. कोषागार से एक मुश्त धनराशि का आहरण न किया जाए क्योंकि धनराशि के एकमुश्त आहरण से राज्य के कैश मैनेजमेन्ट पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
7. संभावित व्यय की फेजिंग, विभाग के कार्य की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार कर ली जाए। जहां तक संभव हो, व्यय की फेजिंग वित्तीय वर्ष के लिए प्रतिमाह समान रूप से की जाय।
8. योजनाओं हेतु प्राविधानित धनराशि को स्वीकृत कर पी0एल0ए0/डाकघर/बैंक में जमा नहीं किया जायेगा।
9. विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत बजट में प्रावधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित वितरण धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या–बी–1–1195/दस–16–94 दिनांक 06 जून, 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
10. व्यय प्रबंधन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर–12 में दी गयी शर्तो तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्स आफ फाईनेन्शियल प्रोपाइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।
11. वित्तीय वर्ष 2021–22 में प्रश्नगत योजना हेतु निर्गत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र समयान्तर्गत उपलब्ध कराया जाय।

प्रेषक,

निदेशक मत्स्य
उ0प्र0, लखनऊ।

सेवा में,

उप निदेशक मत्स्य,

सहायक निदेशक मत्स्य/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
मत्स्य पालक विकास अभिकरण

पत्रांक /नि0शा0/16-19(6)/2021-22 दिनांक-- 24 दिसम्बर, 2021

विषयः वित्तीय वर्ष 2021-22 में विभागीय मत्स्य प्रक्षेत्रों के सुदृढ़ीकरण योजना हेतु आय-व्ययक प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष धनराशि रू0 7,05,750/- (रू0 सात लाख पांच हजार सात सौ पचास मात्र) की शासन द्वारा निर्गत वित्तीय स्वीकृति का बजट आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 28/2021/1341/17-1002(002)/13/2019 दिनांक 16.12.2021, (प्रतिलिपि संलग्न) में उल्लिखित चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु संचालित विभागीय मत्स्य प्रक्षेत्रों के सुदृढ़ीकरण योजना के अन्तर्गत आय-व्ययक में प्रावधानित धनराशि के सापेक्ष रू0 **7,05,750/- (रू0 सात लाख पांच हजार सात सौ पचास मात्र)** की शासन द्वारा निर्गत वित्तीय स्वीकृति एवं निदेशालय के प्रस्ताव के अनुसार संलग्न विवरण के तहत बजट आवंटित करते हुए व्यय किये जाने की अनुमति शासनादेश में दिये गये शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अन्तर्गत प्रदान की जाती है।

1. धनराशि का कोषागार से आहरण एवं व्यय तभी किया जायेगा जब यह सुनिश्चित कर लिया जाएगा कि कोविड-19 के कारण उत्पन्न प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद योजना के कार्यक्रमों का कियान्वयन/संचालन किया जाना आवश्यक एवं अपरिहार्य है।
2. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय योजना के लिए पूर्व निर्धारित दिशा-निर्देशों/गाइडलाइन्स एवं संगत नियमों के अनुसार किया जाएगा।
3. उ0प्र0 बजट मैनुअल के आठवें अध्याय के अनुलग्नक-ए के अनुसार अपेक्षित विवरण अवश्य रखा जाय/उपलब्ध कराया जाय।
4. धनराशि का आवंटन एलाटमेंट मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहं तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
5. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं मदों में किया जाएगा, जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में न ही इसका व्यय किया जाएगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका व्यावर्तन किया जाएगा।
6. कोषागार से एक मुश्त धनराशि का आहरण न किया जाए क्योंकि धनराशि के एकमुश्त आहरण से राज्य के कैश मैनेजमेन्ट पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
7. संभावित व्यय की फेजिंग, विभाग के कार्य की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार कर ली जाए। जहां तक संभव हो, व्यय की फेजिंग वित्तीय वर्ष के लिए प्रतिमाह समान रूप से की जाय।
8. योजनाओं हेतु प्राविधानित धनराशि को स्वीकृत कर पी0एल0ए0/डाकघर/बैंक में जमा नहीं किया जायेगा।
9. विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत बजट में प्रावधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित वितरण धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16-94 दिनांक 06 जून, 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
10. व्यय प्रबंधन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तो तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्स आफ फाईनेन्शियल प्रोपाइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।
11. वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्रश्नगत योजना हेतु निर्गत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र समयान्तर्गत उपलब्ध कराया जाय।

12. जारी वित्तीय स्वीकृतियों के अन्तर्गत आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धन का आहरण विद्यमान व्यवस्था के अनुसार तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय और एक मुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय।
13. स्वीकृतियॉ जारी करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य योजना से स्वीकृत नहीं हुआ है / हो रहा है।
14. प्रक्षेत्र संचालन हेतु निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष स्पान से फ्राई उत्पादन हेतु रू0 6500/— (मानक मदवार धनराशि) एवं फ्राई से फिगरलिंग उत्पादन हेतु रू0 80000/— (मानक मदवार धनराशि) प्रति लाख मत्स्य बीज उत्पादन की दर से सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारियों को आवंटित है। अतएव आवंटित धनराशि का मत्स्य बीज उत्पादन के सापेक्ष निर्धारित मानकों के अनुरूप उपयोग किया जाय एवं वित्तीय वर्ष के अन्त तक उपभोग प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाय।
15. प्रक्षेत्रों पर संचित स्पान से फ्राई के सापेक्ष न्यूनतम 25 प्रतिशत एवं संचित फ्राई से फिंगरलिंग के सापेक्ष 60 प्रतिशत तक जीविता दर प्राप्त करते हुए न्यूनतम लाभ लागत अनुपात स्पान से फ्राई उत्पादन हेतु (1.50:1) एवं फ्राई से फिंगरलिंग उत्पादन हेतु (1.75:1) सुनिश्चित किया जाय।
16. उपरोक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021—22 के अनुदान सं0—17 के अधीन लेखा शीर्षक—2405—मछली पालन 101—अन्तर्देशीय मछली पालन— 04—मत्स्य विकास कार्यक्रम, 0408— विभागीय मत्स्य प्रक्षेत्रों का सुदृढ़ीकरण, 02—मजदूरी, 09—विद्युत देय, 39—औषधि तथा रसायन, 42—अन्य व्यय, 43—सामग्री एवं सम्पूर्ति के नामे डाला जायेगा।
17. उक्त बजट का आवंटन बजट रजिस्टर के पृष्ठ संख्या—(144) पर अंकित है।

भवदीया

(पूजा रमन)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
कृते निदेशक मत्स्य, उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांक— 2149 /नि0शा0/16—19(6)/2021—22 उक्त दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।
2— संबंधित जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी
3— उप सचिव, मत्स्य उत्पादन अनुभाग, उ0प्र0शासन, लखनऊ।
4— संबंधित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी...............................
5— उप निदेशक मत्स्य (नियो0), मुख्यालय।
6— गार्ड फाइल।
7— वेब आफिसर, निदेशालय को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त बजट आवंटन विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करें।

(पूजा रमन)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
कृते निदेशक मत्स्य, उ0प्र0, लखनऊ।

12. जारी वित्तीय स्वीकृतियों के अन्तर्गत आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धन का आहरण विद्यमान व्यवस्था के अनुसार तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय और एक मुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय।
13. स्वीकृतियॉं जारी करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य योजना से स्वीकृत नहीं हुआ है/ हो रहा है।
14. प्रक्षेत्र संचालन हेतु निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष स्पान से फ्राई उत्पादन हेतु रू0 6500/– (मानक मदवार धनराशि) एवं फ्राई से फिंगरलिंग उत्पादन हेतु रू0 80000/– (मानक मदवार धनराशि) प्रति लाख मत्स्य बीज उत्पादन की दर से सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारियों को आवंटित है। अतएव आवंटित धनराशि का मत्स्य बीज उत्पादन के सापेक्ष निर्धारित मानकों के अनुरूप उपयोग किया जाय एवं वित्तीय वर्ष के अन्त तक उपभोग प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाय।
15. प्रक्षेत्रों पर संचित स्पान से फ्राई के सापेक्ष न्यूनतम 25 प्रतिशत एवं संचित फ्राई से फिंगरलिंग के सापेक्ष 60 प्रतिशत तक जीविता दर प्राप्त करते हुए न्यूनतम लाभ लागत अनुपात स्पान से फ्राई उत्पादन हेतु (1.50:1) एवं फ्राई से फिंगरलिंग उत्पादन हेतु (1.75:1) सुनिश्चित किया जाय।
16. उपरोक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021–22 के अनुदान सं0–17 के अधीन लेखा शीर्षक–2405–मछली पालन 101–अन्तर्देशीय मछली पालन– 04–मत्स्य विकास कार्यक्रम, 0408– विभागीय मत्स्य प्रक्षेत्रों का सुदृढ़ीकरण, 02–मजदूरी, 09–विद्युत देय, 39–औषधि तथा रसायन, 42–अन्य व्यय, 43–सामग्री एवं सम्पूर्ति के नामे डाला जायेगा।
17. उक्त बजट का आवंटन बजट रजिस्टर के पृष्ठ संख्या–(144) पर अंकित है।

भवदीया

(पूजा रमन)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
कृते निदेशक मत्स्य, उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांक– 2149 /नि0शा0/16–19(6)/2021–22 उक्त दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।
2– संबंधित जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी
3– उप सचिव, मत्स्य उत्पादन अनुभाग, उ0प्र0शासन, लखनऊ।
4– संबंधित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी..............................
5– उप निदेशक मत्स्य (नियो0), मुख्यालय।
6– गार्ड फाइल।
7– वेब आफिसर, निदेशालय को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त बजट आवंटन विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करें।

(पूजा रमन)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
कृते निदेशक मत्स्य, उ0प्र0, लखनऊ।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2021-2022
आवंटन दिनांक-24/12/2021

प्रेषण संख्या:- 1
आवंटन आदेश संख्या:- 001-SPAN SE FRY ALLOTMENT 24-12-2021
अनुदान संख्या:- 17 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)(वित्तीय वर्ष 2021-2022 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2405 - मछली पालन(आयोजनेत्तर-मतदेय)

101 - अन्तर्देशीय मछली पालन
04 -
08 - विभागीय मत्स्य प्रक्षेत्रों का सुदृढ़ीकरण

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		02-मजदूरी	09-विद्युत देय	39-औषधि तथा रसायन	42-अन्य व्यय	43-सामग्री एवं सम्पूर्ति	योग
1	सहारनपुर-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	750 1500	4630 9260	8 1500	1352 4000	6 22740	6746 39000
2	मेरठ-4362-उप निदेशक मत्स्य , --18-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - बागपत	वर्तमान प्रगामी	1000 2000	5500 11000	11 2000	2258 6680	8 30320	8777 52000
3	आगरा-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	1000 2000	0 0	11 2000	5977 17680	8 30320	6996 52000
4	मैनपुरी-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	312 625	0 0	3 625	1868 5525	3 9475	2186 16250
5	बरेली-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	750 1500	0 0	8 1500	4483 13260	6 22740	5247 39000
6	बिजनौर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	625 1250	0 0	7 1250	3735 11050	5 18950	4372 32500
7	शाहजहांपुर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	2124 5525	6500 14250	23 5095	8306 42564	18 111333	16971 178767
8	इटावा-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	875 1750	5485 10970	10 1750	1521 4500	7 26530	7898 45500
9	फतेहपुर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	1874 3750	6000 12000	21 3750	7150 21150	16 56850	15061 97500
10	प्रयागराज-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	5623 11250	11500 23000	62 11250	25844 76450	48 170550	43077 292500
11	प्रयागराज-4362-उप निदेशक मत्स्य , --16-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - प्रतापग	वर्तमान प्रगामी	4374 8750	11000 22000	48 8750	18711 55350	37 132650	34170 227500

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2021-2022
आवंटन दिनांक-24/12/2021

प्रेषण संख्या:- 1
आवंटन आदेश संख्या:- 001-SPAN SE FRY ALLOTMENT 24-12-2021
अनुदान संख्या:- 17 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)(वित्तीय वर्ष 2021-2022 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2405 - मछली पालन(आयोजनेत्तर-मतदेय)

101 - अन्तर्देशीय मछली पालन
04 -
08 - विभागीय मत्स्य प्रक्षेत्रों का सुदृढ़ीकरण

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		02-मजदूरी	09-विद्युत देय	39-औषधि तथा रसायन	42-अन्य व्यय	43-सामग्री एवं सम्पूर्ति	योग
1	सहारनपुर-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	750 1500	4630 9260	8 1500	1352 4000	6 22740	6746 39000
2	मेरठ-4362-उप निदेशक मत्स्य , --18-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य -बागपत	वर्तमान प्रगामी	1000 2000	5500 11000	11 2000	2258 6680	8 30320	8777 52000
3	आगरा-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	1000 2000	0 0	11 2000	5977 17680	8 30320	6996 52000
4	मैनपुरी-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	312 625	0 0	3 625	1868 5525	3 9475	2186 16250
5	बरेली-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	750 1500	0 0	8 1500	4483 13260	6 22740	5247 39000
6	बिजनौर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	625 1250	0 0	7 1250	3735 11050	5 18950	4372 32500
7	शाहजहांपुर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	2124 5525	6500 14250	23 5095	8306 42564	18 111333	16971 178767
8	इटावा-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	875 1750	5485 10970	10 1750	1521 4500	7 26530	7898 45500
9	फतेहपुर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	1874 3750	6000 12000	21 3750	7150 21150	16 56850	15061 97500
10	प्रयागराज-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	5623 11250	11500 23000	62 11250	25844 76450	48 170550	43077 292500
11	प्रयागराज-4362-उप निदेशक मत्स्य , --16-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य -प्रतापग	वर्तमान प्रगामी	4374 8750	11000 22000	48 8750	18711 55350	37 132650	34170 227500

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		02-मजदूरी	09-विद्युत देय	39-औषधि तथा रसायन	42-अन्य व्यय	43-सामग्री एवं सम्पूर्ति	योग
12	झाँसी-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	2249 6415	0 0	25 5764	13448 69256	19 138566	15741 220001
13	जालौन-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	625 1250	3775 7550	7 1250	1183 3500	5 18950	5595 32500
14	बांदा -2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	625 1250	0 0	7 1250	3735 11050	5 18950	4372 32500
15	वाराणसी-4362-उप निदेशक मत्स्य , --12-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य -जौनपुर	वर्तमान प्रगामी	4374 8750	28425 56850	48 8750	6930 20500	37 132650	39814 227500
16	मिर्ज़ापुर-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	4999 10000	15500 31000	55 10000	19404 57400	42 151600	40000 260000
17	गोरखपुर-4362-उप निदेशक मत्स्य , --10-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - देवरिया	वर्तमान प्रगामी	625 1250	0 0	7 1250	3735 11050	5 18950	4372 32500
18	बस्ती-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	750 1500	0 0	8 1500	4483 13260	6 22740	5247 39000
19	बस्ती-4362-उप निदेशक मत्स्य , --26-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - सन्त कबीर नगर	वर्तमान प्रगामी	1874 3750	11825 23650	21 3750	3211 9500	16 56850	16947 97500
20	आजमगढ-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	1000 2000	5840 11680	11 2000	2028 6000	8 30320	8887 52000
21	आजमगढ-4362-उप निदेशक मत्स्य , --15-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - बलिया	वर्तमान प्रगामी	3374 6750	21585 43170	37 6750	5578 16500	29 102330	30603 175500
22	लखनऊ कलेक्ट्रेट -4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	1250 2500	0 0	14 2500	7471 22100	11 37900	8746 65000
23	लखनऊ कलेक्ट्रेट -4362-उप निदेशक मत्स्य , --02-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - उन्नाव	वर्तमान प्रगामी	3749 8775	24000 49250	41 8345	6186 36294	32 160603	34008 263267
24	सीतापुर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	2124 4250	0 0	23 4250	12701 37570	18 64430	14866 110500
25	हरदोई-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	2499 5638	16600 33200	28 5423	3719 20825	21 99251	22867 164337
26	लखीमपुर खीरी-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	3124 6250	20375 40750	34 6250	4902 14500	27 94750	28462 162500

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		02-मजदूरी	09-विद्युत देय	39-औषधि तथा रसायन	42-अन्य व्यय	43-सामग्री एवं सम्पूर्ति	योग
12	झाँसी-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01- उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	2249 6415	0 0	25 5764	13448 69256	19 138566	15741 220001
13	जालौन-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , - -01--	वर्तमान प्रगामी	625 1250	3775 7550	7 1250	1183 3500	5 18950	5595 32500
14	बांदा -2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , - -01--	वर्तमान प्रगामी	625 1250	0 0	7 1250	3735 11050	5 18950	4372 32500
15	वाराणसी-4362-उप निदेशक मत्स्य , --12- मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य -जौनपुर	वर्तमान प्रगामी	4374 8750	28425 56850	48 8750	6930 20500	37 132650	39814 227500
16	मिर्ज़ापुर-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01- उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	4999 10000	15500 31000	55 10000	19404 57400	42 151600	40000 260000
17	गोरखपुर-4362-उप निदेशक मत्स्य , --10- मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - देवरिया	वर्तमान प्रगामी	625 1250	0 0	7 1250	3735 11050	5 18950	4372 32500
18	बस्ती-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01- उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	750 1500	0 0	8 1500	4483 13260	6 22740	5247 39000
19	बस्ती-4362-उप निदेशक मत्स्य , --26- मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - सन्त कबीर नगर	वर्तमान प्रगामी	1874 3750	11825 23650	21 3750	3211 9500	16 56850	16947 97500
20	आजमगढ-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01- उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	1000 2000	5840 11680	11 2000	2028 6000	8 30320	8887 52000
21	आजमगढ-4362-उप निदेशक मत्स्य , --15- मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - बलिया	वर्तमान प्रगामी	3374 6750	21585 43170	37 6750	5578 16500	29 102330	30603 175500
22	लखनऊ कलेक्ट्रेट -4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	1250 2500	0 0	14 2500	7471 22100	11 37900	8746 65000
23	लखनऊ कलेक्ट्रेट -4362-उप निदेशक मत्स्य , --02-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - उन्नाव	वर्तमान प्रगामी	3749 8775	24000 49250	41 8345	6186 36294	32 160603	34008 263267
24	सीतापुर-2366- सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	2124 4250	0 0	23 4250	12701 37570	18 64430	14866 110500
25	हरदोई-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , - -01--	वर्तमान प्रगामी	2499 5638	16600 33200	28 5423	3719 20825	21 99251	22867 164337
26	लखीमपुर खीरी-2366- सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	3124 6250	20375 40750	34 6250	4902 14500	27 94750	28462 162500

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		02-मजदूरी	09-विद्युत देय	39-औषधि तथा रसायन	42-अन्य व्यय	43-सामग्री एवं सम्पूर्ति	योग
27	अयोध्या-4362-उप निदेशक मत्स्य , --04- मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - गोण्डा	वर्तमान प्रगामी	4999 11275	6500 14250	55 10845	25489 93394	42 198503	37085 328267
28	अयोध्या-4362-उप निदेशक मत्स्य , --05- मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - सुल्तानपुर	वर्तमान प्रगामी	3124 6888	0 0	34 6673	18677 65075	27 118201	21862 196837
29	अयोध्या-4362-उप निदेशक मत्स्य , --06- मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - बाराबकी	वर्तमान प्रगामी	3749 7500	0 0	41 7500	22413 66300	32 113700	26235 195000
30	ललितपुर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	3749 7500	0 0	41 7500	22413 66300	32 113700	26235 195000
31	मऊ-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	250 500	1210 2420	3 500	676 2000	2 7580	2141 13000
32	सिद्धार्थनगर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	2249 4500	0 0	25 4500	13448 39780	19 68220	15741 117000
33	महोबा-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	1125 2250	0 0	12 2250	6724 19890	10 34110	7871 58500
34	संत रविदास नगर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	6248 13775	40750 82750	69 13345	9803 46994	53 236403	56923 393267
35	कुशीनगर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	625 1250	0 0	7 1250	3735 11050	5 18950	4372 32500
	योग	वर्तमान प्रगामी	78666 165666	247000 499000	865 162865	303297 1018297	665 2690665	630493 4536493

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया छ: लाख तीस हजार चार सौ तिरानवे
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया पैंतालीस लाख छत्तीस हजार चार सौ तिरानवे

(पूजा [illegible])
वित्त एवं लेखाधिकारी

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		02-मजदूरी	09-विद्युत देय	39-औषधि तथा रसायन	42-अन्य व्यय	43-सामग्री एवं सम्पूर्ति	योग
27	अयोध्या-4362-उप निदेशक मत्स्य , --04-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - गोण्डा	वर्तमान प्रगामी	4999 11275	6500 14250	55 10845	25489 93394	42 198503	37085 328267
28	अयोध्या-4362-उप निदेशक मत्स्य , --05-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - सुल्तानपुर	वर्तमान प्रगामी	3124 6888	0 0	34 6673	18677 65075	27 118201	21862 196837
29	अयोध्या-4362-उप निदेशक मत्स्य , --06-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - बाराबकी	वर्तमान प्रगामी	3749 7500	0 0	41 7500	22413 66300	32 113700	26235 195000
30	ललितपुर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	3749 7500	0 0	41 7500	22413 66300	32 113700	26235 195000
31	मऊ-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	250 500	1210 2420	3 500	676 2000	2 7580	2141 13000
32	सिद्धार्थनगर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	2249 4500	0 0	25 4500	13448 39780	19 68220	15741 117000
33	महोबा-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	1125 2250	0 0	12 2250	6724 19890	10 34110	7871 58500
34	संत रविदास नगर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	6248 13775	40750 82750	69 13345	9803 46994	53 236403	56923 393267
35	कुशीनगर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	625 1250	0 0	7 1250	3735 11050	5 18950	4372 32500
	योग	वर्तमान प्रगामी	78666 165666	247000 499000	865 162865	303297 1018297	665 2690665	630493 4536493

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया छ: लाख तीस हजार चार सौ तिरानवे

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया पैंतालीस लाख छत्तीस हजार चार सौ तिरानवे

(पूजा [illegible])

वित्त एवं लेखाधिकारी

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2021-2022
आवंटन दिनांक-24/12/2021

प्रेषण संख्या:- 1
आवंटन आदेश संख्या:- 001-FRY SE FINGERLING ALLOTMENT 24-12-2021
अनुदान संख्या:- 17 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)(वित्तीय वर्ष 2021-2022 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2405 - मछली पालन(आयोजनेत्तर-मतदेय)

101 - अन्तर्देशीय मछली पालन
04 -
08 - विभागीय मत्स्य प्रक्षेत्रों का सुद्दढ़ीकरण

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		02-मजदूरी	09-विद्युत देय	39-औषधि तथा रसायन	42-अन्य व्यय	43-सामग्री एवं सम्पूर्ति	योग
1	शाहजहांपुर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	1275 6800	1250 15500	5 5100	9190 51754	13 111346	11733 190500
2	झाँसी-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	1910 8325	0 0	11 5775	15050 84306	28 138594	16999 237000
3	लखनऊ कलेक्ट्रेट -4362-उप निदेशक मत्स्य , --02-मु0 कार्यकारी अधिकारी-मत्स्य - उन्नाव	वर्तमान प्रगामी	1275 10050	1250 50500	5 8350	9190 45484	13 160616	11733 275000
4	हरदोई-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	637 6275	0 33200	2 5425	5017 25842	7 99258	5663 170000
5	अयोध्या-4362-उप निदेशक मत्स्य , --04-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - गोण्डा	वर्तमान प्रगामी	1275 12550	1250 15500	5 10850	9190 102584	13 198516	11733 340000
6	अयोध्या-4362-उप निदेशक मत्स्य , --05-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - सुल्तानपुर	वर्तमान प्रगामी	637 7525	0 0	2 6675	5017 70092	7 118208	5663 202500
7	संत रविदास नगर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	1275 15050	1250 84000	5 13350	9190 56184	13 236416	11733 405000
	योग	वर्तमान प्रगामी	8284 66575	5000 198700	35 55525	61844 436246	94 1062954	75257 1820000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया पचहत्तर हजार दो सौ सत्तावन
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया अठारह लाख बीस हजार

(पूजा रमन)
वित्त एवं लेखाधिकारी

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2021-2022
आवंटन दिनांक-24/12/2021

प्रेषण संख्या:- 1
आवंटन आदेश संख्या:- 001-FRY SE FINGERLING ALLOTMENT 24-12-2021
- **अनुदान संख्या:-** 17 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)(वित्तीय वर्ष 2021-2022 का आवंटन)
- **लेखाशीर्षक:-** 2405 - मछली पालन(आयोजनेत्तर-मतदेय)

101 - अन्तर्देशीय मछली पालन
04 -
08 - विभागीय मत्स्य प्रक्षेत्रों का सुदृढ़ीकरण

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		02-मजदूरी	09-विद्युत देय	39-औषधि तथा रसायन	42-अन्य व्यय	43-सामग्री एवं सम्पूर्ति	योग
1	शाहजहांपुर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	1275 6800	1250 15500	5 5100	9190 51754	13 111346	11733 190500
2	झाँसी-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	1910 8325	0 0	11 5775	15050 84306	28 138594	16999 237000
3	लखनऊ कलेक्ट्रेट -4362-उप निदेशक मत्स्य , --02-मु0 कार्यकारी अधिकारी-मत्स्य - उन्नाव	वर्तमान प्रगामी	1275 10050	1250 50500	5 8350	9190 45484	13 160616	11733 275000
4	हरदोई-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	637 6275	0 33200	2 5425	5017 25842	7 99258	5663 170000
5	अयोध्या-4362-उप निदेशक मत्स्य , --04-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - गोण्डा	वर्तमान प्रगामी	1275 12550	1250 15500	5 10850	9190 102584	13 198516	11733 340000
6	अयोध्या-4362-उप निदेशक मत्स्य , --05-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - सुल्तानपुर	वर्तमान प्रगामी	637 7525	0 0	2 6675	5017 70092	7 118208	5663 202500
7	संत रविदास नगर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	1275 15050	1250 84000	5 13350	9190 56184	13 236416	11733 405000
	योग	वर्तमान प्रगामी	8284 66575	5000 198700	35 55525	61844 436246	94 1062954	75257 1820000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया पचहत्तर हजार दो सौ सत्तावन
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया अठारह लाख बीस हजार

(पूजा रमन)
वित्त एवं लेखाधिकारी

611/ निरा
23/12/2021

File No.17-1002(002)/13/2019- -1-

संख्या-28 /2021 / 1341/17-1002(002)/13/2019

प्रेषक,

डा0 सरोज कुमार,

विशेष सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक मत्स्य,

उ0प्र0 लखनऊ।

मत्स्य उत्पादन अनुभाग लखनऊ :दिनांक: 16 दिसम्बर, 2021

विषय: वित्तीय वर्ष 2021-22 में विभागीय मत्स्य प्रक्षेत्रों का सुदृढीकरण योजना हेतु आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि में से अवशेष धनराशि रू0 10.94 लाख के सापेक्ष रू0 7.05750 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या-554 /नि0शा0/2021-22 दिनांक 11 नवम्बर, 2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे, जिसके माध्यम से वित्तीय वर्ष 2021-22 में विभागीय मत्स्य प्रक्षेत्रों का सुदृढीकरण योजना हेतु आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रू0 50.00 लाख के सापेक्ष अनुदान संख्या-17 के अधीन लेखाशीर्षक 2405- मछली पालन, 101- अन्तर्देशीय मछली पालन, 04- मत्स्य विकास कार्यक्रम, 0408- विभागीय मत्स्य प्रक्षेत्रों का सुदृढीकरण योजना के अन्तर्गत 02- मजदूरी मद में रू0 86,950, 09- विद्युत देय मद में रू0 2,52,000, 39- औषधि तथा रसायन मद में रू0 900, 42- अन्य व्यय मद में रू0 3,65,141, तथा 43- सामग्री एवं सम्पूर्ति मद के अन्तर्गत धनराशि रू0 759 अर्थात कुल धनराशि 7.05750 लाख (रू0 सात लाख पॉच हजार सात सौ पचास मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- उल्लेखनीय है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक में विभागीय मत्स्य प्रक्षेत्रों का सुदृढीकरण योजना हेतु कुल रू0 50.00 की धनराशि प्राविधानित की गई थी, जिसमें से शासनादेश सं0- 14/2021/ 690/17-1002(002) /13/2019 दिनांक 02.07.2021 द्वारा कुल रू0 39.06 लाख की वित्तीय स्वीकृति पूर्व में निर्गत की जा चुकी है और इस योजना में अवशेष बजट धनराशि रू0 10.94 लाख कें सापेक्ष रू0 7.05750 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का प्रस्ताव है।

3- अतः इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 11 नवम्बर, 2021 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुक्रम में अनुदान संख्या-17 के अधीन लेखाशीर्षक 2405- मछली पालन,101-अन्तर्देशीय मछली पालन, 04- मत्स्य विकास कार्यक्रम,0408-विभागीय

PA to J.D.
22/12/2021
(1)
DD(P)
23/12/2021
(राजेन्द्र सिंह)

ADFC(P)
N.A.
23/12/2021
उप निदेशक मत्स्य (नियो0)

अंकुर
23/12/2021

611/मि०स०
23/12/2021

संख्या-28 /2021 / 1341/17-1002(002)/13/2019

प्रेषक,

डा0 सरोज कुमार,

विशेष सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक मत्स्य,

उ0प्र0 लखनऊ।

मत्स्य उत्पादन अनुभाग लखनऊ :दिनांक: 16 दिसम्बर, 2021

विषय: वित्तीय वर्ष 2021-22 में विभागीय मत्स्य प्रक्षेत्रों का सुद्दढीकरण योजना हेतु आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि में से अवशेष धनराशि रू0 10.94 लाख के सापेक्ष रू0 7.05750 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या-554 /नि0शा0/2021-22 दिनांक 11 नवम्बर, 2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे, जिसके माध्यम से वित्तीय वर्ष 2021-22 में विभागीय मत्स्य प्रक्षेत्रों का सुद्दढीकरण योजना हेतु आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रू0 50.00 लाख के सापेक्ष अनुदान संख्या-17 के अधीन लेखाशीर्षक 2405- मछली पालन, 101- अन्तर्देशीय मछली पालन, 04- मत्स्य विकास कार्यक्रम, 0408- विभागीय मत्स्य प्रक्षेत्रों का सुद्दढीकरण योजना के अर्न्तगत 02- मजदूरी मद में रू0 86,950, 09- विद्युत देय मद में रू0 2,52,000, 39- औषधि तथा रसायन मद में रू0 900, 42- अन्य व्यय मद में रू0 3,65,141, तथा 43- सामग्री एवं सम्पूर्ति मद के अन्तर्गत धनराशि रू0 759 अर्थात कुल धनराशि 7.05750 लाख (रू0 सात लाख पॉच हजार सात सौ पचास मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- उल्लेखनीय है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक में विभागीय मत्स्य प्रक्षेत्रों का सुद्दढीकरण योजना हेतु कुल रू0 50.00 की धनराशि प्राविधानित की गई थी, जिसमें से शासनादेश सं0- 14/2021/ 690/17-1002(002) /13/2019 दिनांक 02.07.2021 द्वारा कुल रू0 39.06 लाख की वित्तीय स्वीकृति पूर्व में निर्गत की जा चुकी है और इस योजना में अवशेष बजट धनराशि रू0 10.94 लाख के सापेक्ष रू0 7.05750 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का प्रस्ताव है।

3- अतः इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 11 नवम्बर, 2021 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुक्रम में अनुदान संख्या-17 के अधीन लेखाशीर्षक 2405- मछली पालन,101-अन्तर्देशीय मछली पालन, 04- मत्स्य विकास कार्यक्रम,0408-विभागीय

PA to J.D.
22/12/2021
DD(P)
23/12/2021
ADFC(P)
N.A.
23/12/2021
उप निदेशक मत्स्य (नियो०)
अंकुर
23/12/2021

मत्स्य प्रक्षेत्रों का सुदृढीकरण योजना के अन्तर्गत 02-मजदूरी मद में रू0 86,950, 09- विद्युत देय मद में रू0 2,52,000, 39- औषधि तथा रसायन मद में रू0 900,42- अन्य व्यय मद में रू0 3,65,141, तथा 43- सामग्री एवं सम्पूर्ति मद के अन्तर्गत धनराशि रू0 759 अर्थात कुल धनराशि 7.05750 लाख (रू0 सात लाख पॉच हजार सात सौ पचास मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों/ प्रतिबन्धों के अधीन आहरित कर व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं –

(1) धनराशि का कोषागार से आहरण एवं व्यय तभी किया जायेगा जब यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि कोविड-19 के कारण उत्पन्न प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद योजना के कार्यक्रमों का क्रियान्वयन/संचालन किया जाना आवश्यक एवं अपरिहार्य है।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय परियोजना के दिशा निर्देशों/गाइड लाइन्स एवं संगत नियमों के अनुसार किया जायेगा।

(3) वित्तीय स्वीकृतियां जारी करने अथवा धनराशि को विभागाध्यक्ष /नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने से पूर्व समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति अनिवार्यतः सुनिश्चित कर ली जाये। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का विभागाध्यक्ष /नियंत्रक अधिकारी के निर्वतन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नही देता है।

(4) जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार / केन्द्र अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति विभागाध्यक्ष/ नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

(5) संभावित व्यय की फेजिंग, विभाग के कार्य की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार कर ली जाय। जहां तक संभव हो, व्यय की फेजिंग वित्तीय वर्ष के लिए प्रतिमाह समान रूप से की जाये।

(6) विभागाध्यक्षों/ अन्य नियंत्रक अधिकारियों द्वारा बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाये कि आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाये।

(7) कोषागार से एकमुश्त धनराशि का आहरण न किया जाये, क्योकि धनराशि के एकमुश्त आहरण से राज्य के कैश मैनेजमेंट पर प्रतिकूल प्रभाव पडता है।

(8) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के सबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(9) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में न ही इसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका व्यावर्तन किया जायेगा।

(10) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एक मुश्त न करते हुए आवश्यकतानुसार किया जायेगा।

(2)

मत्स्य प्रक्षेत्रों का सुदृढीकरण योजना के अर्न्तगत 02-मजदूरी मद में रू0 86,950, 09- विद्युत देय मद में रू0 2,52,000, 39- औषधि तथा रसायन मद में रू0 900,42- अन्य व्यय मद में रू0 3,65,141, तथा 43- सामग्री एवं सम्पूर्ति मद के अन्तर्गत धनराशि रू0 759 अर्थात कुल धनराशि 7.05750 लाख (रू0 सात लाख पॉच हजार सात सौ पचास मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों/ प्रतिबन्धों के अधीन आहरित कर व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं –

(1) धनराशि का कोषागार से आहरण एवं व्यय तभी किया जायेगा जब यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि कोविड-19 के कारण उत्पन्न प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद योजना के कार्यक्रमों का क्रियान्वयन/संचालन किया जाना आवश्यक एवं अपरिहार्य है।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय परियोजना के दिशा निर्देशों/गाइड लाइन्स एवं संगत नियमों के अनुसार किया जायेगा।

(3) वित्तीय स्वीकृतियां जारी करने अथवा धनराशि को विभागाध्यक्ष /नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने से पूर्व समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति अनिवार्यतः सुनिश्चित कर ली जाये। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का विभागाध्यक्ष /नियंत्रक अधिकारी के निर्वतन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नही देता है।

(4) जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैंनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार / केन्द्र अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति विभागाध्यक्ष/ नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

(5) संभावित व्यय की फेजिंग, विभाग के कार्य की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार कर ली जाय। जहां तक संभव हो, व्यय की फेजिंग वित्तीय वर्ष के लिए प्रतिमाह समान रूप से की जाये।

(6) विभागाध्यक्षों/ अन्य नियंत्रक अधिकारियों द्वारा बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाये कि आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाये।

(7) कोषागार से एकमुश्त धनराशि का आहरण न किया जाये, क्योकि धनराशि के एकमुश्त आहरण से राज्य के कैश मैनेजमेंट पर प्रतिकूल प्रभाव पडता है।

(8) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के सबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(9) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में न ही इसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका व्यावर्तन किया जायेगा।

(10) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एक मुश्त न करते हुए आवश्यकतानुसार किया जायेगा।

(11) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय वित्त (आय-व्ययक)अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 22.03.2021 में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

4 - उपरोक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में आय- व्ययक अनुदान संख्या-17 के अधीन लेखाशीर्षक 2405-मछली पालन-101-अन्तर्देशीय मछली पालन-04- मत्स्य विकास कार्यक्रम-0408-विभागीय मत्स्य प्रक्षेत्रों का सुदृढीकरण-02-मजदूरी, 09-विद्युत देय, 39-औषधि तथा रसायन, 42-अन्य व्यय, 43-सामग्री एवं सम्पूर्ति के नामें डाला जायेगा।

5- निर्गत की जा रही धनराशि रू0 7.05750 लाख (रू0 सात लाख पॉच हजार सात सौ पचास मात्र) का सम्बंधित जनपदों में आवंटन निदेशक मत्स्य के स्तर से नियमानुसार किया जायेगा।

6- यह आदेश वित्त विभाग के कम्प्यूटर संख्या-2400, दिनांक 03.12.2021 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

Signed by डा० सरोज कुमार
Date: 16-12-2021 11:00:44
Reason: Approved
(डा० सरोज कुमार)
विशेष सचिव ।

संख्या –28/2021 /1341 (1)/17-1002(002)/13/2019 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम / द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।
2- महालेखाकार (सिविल आडिट) प्रथम / द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।
3- मुख्य कोषाधिकारी जवाहर भवन लखनऊ ।
4- सम्बंधित कोषाधिकारी उ0प्र0 ।
5- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी मत्स्य निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ।
6- वित्त् (व्यय-नियत्रंण) अनुभाग-1 / वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 ।
7- गार्ड फाइल ।

(11) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय वित्त (आय-व्ययक)अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 22.03.2021 में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

4 - उपरोक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में आय- व्ययक अनुदान संख्या-17 के अधीन लेखाशीर्षक 2405-मछली पालन-101-अन्तर्देशीय मछली पालन-04- मत्स्य विकास कार्यक्रम-0408-विभागीय मत्स्य प्रक्षेत्रों का सुदृढीकरण-02-मजदूरी, 09-विद्युत देय, 39-औषधि तथा रसायन, 42-अन्य व्यय, 43-सामग्री एवं सम्पूर्ति के नामें डाला जायेगा।

5- निर्गत की जा रही धनराशि रू0 7.05750 लाख (रू0 सात लाख पॉच हजार सात सौ पचास मात्र) का सम्बंधित जनपदों में आवंटन निदेशक मत्स्य के स्तर से नियमानुसार किया जायेगा।

6- यह आदेश वित्त विभाग के कम्प्यूटर संख्या-2400, दिनांक 03.12.2021 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

Signed by डॉ० सरोज कुमार
Date: 16-12-2021 11:00:44
Reason: Approved
(डा० सरोज कुमार)
विशेष सचिव ।

संख्या –२8/2021 /1341 (1)/17-1002(002)/13/2019 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम / द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।
2- महालेखाकार (सिविल आडिट) प्रथम / द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।
3- मुख्य कोषाधिकारी जवाहर भवन लखनऊ ।
4- सम्बंधित कोषाधिकारी उ0प्र0 ।
5- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी मत्स्य निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ।
6- वित्त (व्यय-नियत्रंण) अनुभाग-1 / वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 ।
7- गार्ड फाइल ।